



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग



नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ, 226016

पत्रांक- 540 /सी०ए०पी०/2026

दिनांक- 10/02/2026

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ की विभिन्न सम्पत्तियों हेतु उ०प्र० भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 के अध्याय-8 के प्रस्तर-8.2.2.2 के अनुसार सम्पत्ति के 12.00 मी० व अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित होने एवं 27 जुलाई, 2024 को प्रकाशित गजट के अनुसार टी०ओ०डी० (ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवेलपमेन्ट) जोन से अच्छादित क्षेत्र में स्थित होने के फलस्वरूप मिश्रित उपयोग अनुमन्य किये जाने हेतु आवेदन निम्नानुसार प्रस्ताव है :-

क्र०सं०	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	उपयोग	परिवर्तित उपयोग
1	8/7	178.56	आवासीय	व्ययसायिक, कार्यालय एवं आवासीय
2	16/1450	248.60	आवासीय	व्ययसायिक, कार्यालय एवं आवासीय
3	17/6	176.40	आवासीय	व्ययसायिक, कार्यालय एवं आवासीय
4	ए-108	396.57	आवासीय	व्ययसायिक, कार्यालय एवं आवासीय
5	ए-1569	285.12	आवासीय	व्ययसायिक, कार्यालय एवं आवासीय
6	डी-2043	328.80	आवासीय	व्ययसायिक, कार्यालय एवं आवासीय

उक्त तालिका के अनुसार टी०ओ०डी० के अंतर्गत मिश्रित उपयोग अनुमन्य किये जाने हेतु उपविधि के प्रस्तर-15.1.3 (4) में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। प्रस्तावों से संबंधित तलपट मानचित्र/अभिलेखों का अवलोकन किसी भी कार्यालय कार्यदिवस में वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-4, द्वितीय तल, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ कार्यालय में किया जा सकता है। सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अवधि में आपत्ति व सुझाव मुख्य वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में लिखित रूप से अथवा ई-मेल-cap@upavp.com के माध्यम से निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

आवास आयुक्त